कार्यालय अधिष्ठाता शोध व विकास एवं प्रोफेसनल प्रैक्टिसेज
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

पत्रांक/मा0प्रौ0वि0/अधि0शो0विएवंपी0पी0/ INC_166/ /2024 दिनांक : 15 अप्रैल, 2024

समस्त विभागाध्यक्ष

यह संज्ञान में आया है कि कुछ विभागो में शोध छात्रों के Co-Supervisor उनके Relevant Field के नही है। UGC/University की नयी Guidlines के अनुसार Co-Supervisor को शोध परीक्षक के रुप में एक Count होता है। वर्तमान में इसके कारण कुछ Faculty Ph.D Supervisor की Maximum Limit (Professor-08, Associate Professor-6, Assistant Professor-4) भर गयी है। जिससे वे अन्य Ph.D Students नही ले पा रहे है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे शोध परीक्षक जो Co-Supervisor के रुप में कार्य कर रहे है। जिसका शोधार्थी के Broad Area से Match नही करता है उनको अपने स्तर से Review कर Competent authority से Approval हेतु दिनांकः 18.04.2024 तक संस्तुति करे, जिससे शोध परीक्षक नये शोधार्थी को ले सके। साथ ही अवगत कराना है कि भविष्य में Co-Supervisor जोडने हेतु उन्ही Faculty का नाम संस्तुति करे जो शोधार्थी के Field का हो।

शोध की गुणवता एवं University का Perception बढाने हेतु बाहय Ph.D Co-Supervisor को IITs/NITs/ Centrally Funded Institution/ QS Ranking Institution / Reputed Research Organisation को ही वरीयता दें।

((प्रो0 राकेश कुमार)
अधिष्ठाता शोध व विकास एवं प्रोफेसनल प्रैक्टिसेज

पत्रांक/मा0प्रौ0वि0/अधि0शो0विएवंपी0पी0/ INC_166/115 /2024 दिनांक : 15 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त शिक्षकगण (Phd Supervisor)।
2. बेब मास्टर को विश्वविद्यालय की बेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
3. वै0 सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

15/04/2024

((प्रो0 राकेश कुमार)
अधिष्ठाता शोध व विकास एवं प्रोफेसनल प्रैक्टिसेज